

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही  
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

1. वागाराम पुत्र जोधाजी, जाति-मेघवाल, निवासी- पामेरा, तह. रेवदर, जिला-सिरौही
2. पोसाराम पुत्र चमनाजी, जाति-मेघवाल, निवासी- पामेरा, तह. रेवदर, जिला-सिरौही
3. भगवानाराम पुत्र खूबाजी, जाति-मेघवाल, निवासी-पामेरा, तह. रेवदर, जिला-सिरौही
4. दरगाराम पुत्र गमनाजी, जाति- मेघवाल, निवासी-पामेरा, तह. रेवदर, जिला-सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, पामेरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, पामेरा, तह.रेवदर, जिला-सिरौही
2. कानाराम पुत्र केवाजी, जाति- गर्ग, निवासी- पामेरा, तहसील-रेवदर, जिला-सिरौही

पंचायत निगरानी संख्या: 02/2018

“निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994”

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा, प्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री सुरेशचन्द्र सुराणा, अप्रार्थी संख्या- 2 की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 18 जनवरी, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी कानाराम पुत्र केवाजी, जाति- गर्ग, निवासी- पामेरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत क्षेत्रफल 447 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 21.12.2015 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी संख्या- 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेशचन्द्र सुराणा उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से अलग अलग जवाब भी प्रस्तुत हुए।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आढ़ा ने निगरानी प्रार्थना पत्र व विधिक दृष्टान्त RRT 2012(2) Page 1265, 2013(1) RRT Page 350 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में आम रास्ते की भूमि का पट्टा संख्या 24 दिनांक 21.12.2015 को जारी किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में पूर्व में पट्टा संख्या 41 दिनांक 30.11.1979 को क्षेत्रफल 1665 वर्गफीट का जारी किया गया था, जिसकी चतुर्दशी पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में त्रिकमा पुत्र शंकर गुरु का मकान, उत्तर में रास्ता व दरवाजा 1, दक्षिण में लहरी पुत्री धरमा गुरु का मकान है। उक्त पट्टा संख्या 41 दिनांक 30.11.1979 में अंकित चतुर्दशी अनुसार यह स्पष्ट है कि पट्टा संख्या 41 की

.....पेज दो पर


अति. जिला कलेक्टर  
सिरौही (रज.)



भूमि के पूर्व व उत्तर दिशा की भूमि आम रास्ते की भूमि है व मौके पर रास्ता है। यह कि अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा उक्त पट्टा संख्या 41 के पूर्व दिशा की तरफ आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर उस पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया, जिस पर प्रार्थीगण ने एक वाद बाबत स्थायी एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा हेतु माननीय सिविल न्यायालय (व.ख.) सिरौही में प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 07/2011 वर्तमान में लम्बित है। उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी कानाराम के पक्ष में पूर्व में जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 30.11.1979 की क्षेत्रफल 1665 वर्गफीट भूमि के पूर्व व उत्तर दिशा में रास्ते की भूमि है इस रास्ते की 447 वर्गफीट भूमि का ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी कानाराम के पक्ष में विधि विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। यह कि पक्षकारान के बीच सिविल वाद न्यायालय में लम्बित है तथा उक्त वाद में अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिये कानून से परे जाकर रास्ते की भूमि का पट्टा जारी किया है, जबकि रास्ते की भूमि विक्रय करने का पंचायत को कानूनन हक अधिकार नहीं है। यह कि पूर्व में प्रस्तुत वाद में निर्णय होने पर उसकी अपील माननीय जिला न्यायालय, सिरौही में प्रस्तुत की गई जो अपील संख्या 20/2012 पर दर्ज की गई। उक्त अपील संख्या 20/2012 में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2016 के द्वारा ग्राम पंचायत को भी वाद में पक्षकार बनाकर पुनर्विचार करने के लिये प्रकरण रिमाण्ड किया गया। जिस पर माननीय सिविल न्यायालय (व.ख.) सिरौही में पुनः वाद संख्या 07/2016 पर दर्ज हुआ तथा ग्राम पंचायत, पामेरा को सम्मन भेजे गये। जिस पर ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा उक्त वाद में माननीय न्यायालय में दिनांक 19.6.2017 को जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके साथ ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा की प्रति भी प्रस्तुत की गई। जिस पर प्रार्थीगण को सर्व प्रथम जानकारी हुई कि ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के हक में रास्ते की भूमि का पट्टा जारी कर दिया है। यह कि ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या संख्या-2 के पक्ष में पूर्व में जारी पट्टा संख्या 41 के नक्शे का हवाला उक्त पट्टा संख्या 24 के पृष्ठ भाग पर दिया गया है जिसमें 1665 वर्गफीट भूमि पूर्व में नियमन करने का उल्लेख किया गया है इससे भी प्रमाणित है कि एक व्यक्ति के पक्ष में कानूनन एक बार ही नियमन किया जाता है उसके बाद पुनः नियमन करने का कानूनन कोई प्रावधान नहीं है। यह कि मौके पर अप्रार्थी संख्या- 2 का कोई पुराना आवास गृह नहीं था उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत ने रास्ते की भूमि का अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत नियमन किया गया है जो विधि विरुद्ध है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टा संख्या 24 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जबाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.11.1979 को जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 1665 वर्गफीट भूमि के पूर्व दिशा में रास्ते की भूमि होना उल्लेखित है। इस आम रास्ते की भूमि व पट्टेशुदा मकान के मध्य की भूमि अप्रार्थी संख्या-2 के कब्जे कांटो की बाड़ से घिरी हुई थी एवं उसमें कपडे धोने व बाथरूम आदि की व्यवस्था की हुई थी। कांटो से घिरी भूमि एवं उसके निर्मित स्थान को पट्टा संख्या 41

....पेज तीन पर

श.त. जिला कलेक्टर  
सिरौही (राज.)





गया है। इस संबंध में प्रार्थीगण का मुख्यतः कथन यह है कि "ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी कानाराम के पक्ष में पूर्व में जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 30.11.1979 की क्षेत्रफल 1665 वर्गफीट भूमि के पूर्व व उत्तर दिशा में रास्ते की भूमि है इस रास्ते की 447 वर्गफीट भूमि का ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी कानाराम के पक्ष में विधि विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है।"

प्रार्थी पक्ष द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा पूर्व में अप्रार्थी कानाराम पुत्र केवाजी के पक्ष में क्षेत्रफल 1665 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 41 दिनांक 30.11.1979 को जारी किया गया है, इस पट्टा संख्या 41 में अंकित चतुर्दशी में पूर्व व उत्तर दिशा में रास्ता होना दर्शाया है। उक्त पट्टा संख्या 41 दिनांक 30.11.1979 की मिसल संख्या 191/16.8.1979 की छाया प्रति भी प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसमें उपलब्ध नजरी नक्शा जो सचिव, ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा तैयार किया हुआ है, में उक्त पट्टा संख्या 41 की भूमि के पूर्व व उत्तर दिशा में रास्ता होना दर्शाया है। जबकि ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी कानाराम पुत्र केवाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 21.12.2015 में अंकित चतुर्दशी में दक्षिण दिशा में खण्ड A-स्वयं का नियमन व ख. B- पंकुदेवी/कानाराम का मकान एवं पश्चिम दिशा में खण्ड A-त्रिकमाराम का मकान व ख. B के स्वयं का का नियमन दर्शाया है। ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी कानाराम के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 24 में अंकित नजरी नक्शे में पूर्व में नियमन की गई उक्त क्षेत्रफल 1665 वर्गफीट भूमि को खण्ड-C भाग में दर्शाया है। इससे, ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी कानाराम पुत्र केवाजी के पक्ष में पूर्व में जारी उक्त पट्टा संख्या 41 दिनांक 30.11.1979 की क्षेत्रफल 1665 वर्गफीट भूमि के पूर्व व उत्तर दिशा में स्थित रास्ते की 447 वर्गफीट भूमि का ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी कानाराम पुत्र केवाजी के पक्ष में पट्टा संख्या 24 दिनांक 21.12.2015 को जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टा संख्या 24 दिनांक 21.12.2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत, पामेरा को विवादित भूमि के मौके एवं रेकॉर्ड की जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी कानाराम पुत्र केवाजी, जाति- गर्ग, निवासी- पामेरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 21.12.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, पामेरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के मौके एवं रेकॉर्ड की जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।



(आशाराम डूडी)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सिरोही